(156)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(3)नविवि/3/09 पार्ट   जयपुर, दिनांक 30 MAR 2011

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण गृह निर्माण सहकारी समितियों की नियमन से लम्बित योजनाओं के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र जारी किये गये है। प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को नियमन से शेष बची योजनाओं के नियमन में आ रही कठिनाईयों से अवगत करवाया गया है। इन कठिनाईयों पर नियमन कार्य को गति देने हेतु निम्न प्रकार आदेश प्रसारित किये जाते है :-

1. आवासीय योजनाओं में 60 प्रतिशत आवासीय एवं 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में जिनमें आवासीय क्षेत्र 70 प्रतिशत से अधिक सृजित कर दिया गया है, जिसके कारण इन योजनाओं के भूखण्डों का नियमन नहीं हो पा रहा है। ऐसी योजनाओं के नियमन के प्रस्ताव में छूट दिया जाना अपेक्षित हो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिया जायेगा।

2. गृह निर्माण सहकारी समिति की जो योजनाएं ओवर लेपिंग से प्रभावित होने के कारण विवादित हैं एवं ऐसे प्रकरणों में ओवर लेपिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में विधिक समाधान नहीं होने के कारण सम्पूर्ण योजना का नियमन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी योजनाओं में पक्षकारों से आपत्ति मांगी जाकर आपत्ति वाले ओवर लेपिंग क्षेत्र को छोडकर शेष योजना के नियमन की कार्यवाही की जाये।

3. जिन योजनाओं में खातेदार एवं गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य में भूमि विक्रय के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज या किसी भी प्रकार के दस्तावेज नगरीय निकाय के रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसी योजनाओं की मौके पर विक्रय योग्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत पर बसावट हो चुकी है भूखण्डधारी ऐसी बसावट के आधार पर मौके पर काबिज है। ऐसे प्रकरणों में :-

   (i) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90बी की सार्वजनिक विज्ञप्ति अखबारों में जारी करते हुए योजना के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का विवरण दिया जावे व आपत्तियां आमंत्रित की जावे।

   (ii) यदि खातेदार एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुर्नग्रहण आदेश पारित किया जावे।

(iii) नगरीय निकाय [illegible] निकाय में पदस्थापित [illegible] अधिनियम, 1956 की धारा 90बी (1) के अन्तर्गत भूमि पुनर्ग्रहण की कार्यवाही कराकर परस्पर भूमि की [illegible] उपयोग के कारण राजकीय भूमि की तरह मौके पर [illegible] के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर सकेंगे।

(iv) ऐसे प्रकरणों में [illegible] सरकारी भूमि [illegible] के कारण निजी खातेदारी भूमि के लिए निर्धारित नियमन की दर ही वसूल की जाकर आवंटी कब्जाधारियों को पट्टा देने की कार्यवाही की जावे।

4. राजस्थान आवासन मण्डल, रीको तथा अन्य संस्थाओं की अवाप्तशुदा / अवाप्ताधीन भूमियों जिन पर की कॉलोनी बस चुकी है के नियमन के संबंध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नविवि, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय, नगरीय विकास विभाग
   निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर (राजस्थान)
12. अध्यक्ष / सचिव, नगर सुधार न्यास.............(समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव–प्रथम